

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण संख्या 1665/2016 प्रार्थना पत्र

उदेराम उर्फ उदयराम कीर

// बनाम //

बंशीलाल कीर व अन्य



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0का0अधि0

निर्णय

दिनांक 27.08.2019

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी सं. 12 मोहनलाल मय अधिवक्ता उपस्थित। जिन्होंने जाहिर किया कि इस प्रकरण से संबंधित मूलवाद संख्या 129/2016 आज दिनांक को वादी द्वारा विद्रा किया जाकर खारिज हो चुका है। इसलिए प्रार्थीगण इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। अतः मूलवाद का निस्तारण होने से इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा-212 रा0का0अधि0 इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

